अनुदान संख्या 58 – माध्यमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा विभाग
GRANT No. 58–DEPARTMENT OF SECONDARY EDUCATION AND HIGHER EDUCATION

				कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
						(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्व:	**Revenue:**					
स्वीकृत-	Voted–					
मूल	Original	5057,38,00		5474,57,00	5160,61,59	–313,95,41
पूरक	Supplementary	417,19,00				
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year					306,69,25
पूंजीगत:	**Capital:**					
स्वीकृत-	Voted–			1,00	. .	–1,00
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year					1,00

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान के राजस्व भाग में, कुल बचतें (31395.41 लाख रु.) दिसंबर, 2004 और मार्च, 2005 में प्राप्त किए गए 41719.00 लाख रु. के पूरक अनुदान का 75 प्रतिशत और कुल स्वीकृत प्रावधान का 6 प्रतिशत थीं।

बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ :-

Notes and comments

1. In the revenue section of the grant, the overall savings (Rs.31395.41 lakhs) constituted 75 percent of the supplementary grants of Rs.41719.00 lakhs obtained in December, 2004 and March, 2005 and 6 percent of the total sanctioned provision.

Savings/excess occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head				
मुख्य शीर्ष "2251" सचिवालय - सामाजिक सेवाएं	Major Head "2251" Secretariat –Social Services				
मू.	O.	2754.00	3018.00	2726.38	–291.62
पू.	S.	167.00			
पु.	R.	97.00			

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "2202'' सामान्य शिक्षा	Major Head "2202" General Education				
मू.	O.	323512.00			
पू.	S.	31548.00	355584.50	355179.59	–404.91
पु.	R.	524.50			
मुख्य शीर्ष "2203'' तकनीकी शिक्षा	Major Head "2203" Technical Education				
मू.	O.	152989.00			
पू.	S.	2853.00	140019.27	140005.28	–13.99
पु.	R.	-15822.73			
मुख्य शीर्ष "2552'' उत्तर पूर्वी क्षेत्र	Major Head "2552" North Eastern Areas				
मू.	O.	1500.00			
पू.	S.	1051.00	1351.00	1350.00	–1.00
पु.	R.	–1200.00			
मुख्य शीर्ष "3601'' राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	Major Head "3601" Grants- in- aid to State Governments				
मू.	O.	24494.00			
पू.	S.	6100.00	16724.84	16722.51	–2.33
पु.	R.	–13869.16			
मुख्य शीर्ष "3602'' संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को सहायता अनुदान	Major Head "3602" Grants-in-aid to Union Territory Governments				
मू.	O.	420.00			
			22.14	11.53	–10.61
पु.	R.	–397.86			

(I) 11682.50 लाख रु. का प्रावधान तैंतीस शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; जिसमें से 11101.50 लाख रु. निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत लेखाबद्ध किए गए:-

(का) मुख्य शीर्ष ''2203'' - ''पालिटेक्निक्स'' - पूरक प्रावधान तकनीकी समस्याओं की वजह से परियोजना के न बनाए जाने के कारण निम्नलिखित दो शीर्षों के अंतर्गत अप्रयुक्त रहा:-

(क) ''नए पालिटेक्निक्स की स्थापना'' - 1440.00 लाख रु.; और

(ख) ''पालिटेक्निक्स में अवसंरचना विकास कार्यक्रम'' - 810.50 लाख रु.।

(खा) मुख्य शीर्ष ''2552'' - ''अन्य व्यय - पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम से संबंधित परियोजनाएं/स्कीमों के लिए प्रावधान'' - 1051.00 लाख रु. का प्रावधान पूर्वोत्तर क्षेत्र के लाभ से संबंधित स्कीमों में उपयोग के लिए आंशिक निधियों का पुनर्विनियोग कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने और शेष राशि अभ्यर्पित किए जाने के कारण था।

(गा) मुख्य शीर्ष ''2202'' - ''माध्यमिक शिक्षा - अन्य व्यय- विद्यालयों में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी - बिना विधानमंडल वाले संघ राज्य क्षेत्रों को अनुदान'' - 250.00 लाख रु. वित्त मंत्रालय द्वारा राज्य शिक्षा प्रौद्योगिकी संस्थान को निधियां जारी किए जाने के संबंध में अनुमोदन प्रदान न किए जाने के कारण थे।

(घा) मुख्य शीर्ष ''2203'' -

(क) ''पालिटेक्निक्स - पालिटेक्निक शिक्षा के सुधार के लिए विश्व बैंक परियोजना'' - 250.00 लाख रु. निम्न स्तर के कार्य निष्पादन की वजह से वित्त मंत्रालय और विश्व बैंक के परामर्श पर तकनीकी शिक्षा गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम के अंतर्गत निधियां जारी न किए जाने के कारण थे।

(ख) ''इंजीनियरी, तकनीकी कालेज और संस्थान'' -

(i) ''केंद्रीय संस्थाओं और क्षेत्रीय इंजीनियरी कालेजों और राज्य इंजीनियरी कालेजों को प्रत्यक्ष केंद्रीय सहायता'' - 5000.00 लाख रु. स्कीम को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण थे।

(I) Provision of Rs.11682.50 lakhs remained wholly unutilised under thirty three heads; of these Rs.11101.50 lakhs accounted for under the following major heads:-

(A) Major Head “2203” - “Polytechnics” - supplementary provision remained unutilised due to non-formulation of project owing to technical problems under the following two heads:-

(a) “Setting up of New Polytechnics”- Rs.1440.00 lakhs; and

(b) “Infrastructure Development Programme in Polytechnics” - Rs.810.50 lakhs.

(B) Major Head “2552”-“Other Expenditure- Provision for Projects/Schemes for North Eastern Areas and Sikkim”- supplementary provision of Rs.1051.00 lakhs – due to re-appropriation of part funds to functional heads for utilisation in the schemes for the benefit of North Eastern Areas and surrender of the balance amount.

(C) Major Head “2202”-“Secondary Education– Other Expenditure - Information and Communication Technology in Schools- Grants to Union Territories without Legislature”- Rs.250.00 lakhs – due to non-approval for release of funds to the State Institute of Education Technology by the Ministry of Finance.

(D) Major Head “2203”-

(a) “Polytechnics - World Bank Project for improvement of Polytechnic Education” - Rs.250.00 lakhs – due to non-release of funds under Technical Education Quality Improvement Programme on the advice of the Ministry of Finance and World Bank owing to low performance.

(b) “Engineering, Technical Colleges and Institutes”-

(i) “Direct Central Assistance to the Central Institutions and Regional Engineering Colleges and State Engineering Colleges”- Rs.5000.00 lakhs – due to non-finalisation of the scheme.

(ii) ''संसाधनों का अधिकतम उपयोग करने वाली संस्थाओं की नेटवर्किंग के लिए सहायता'' - 300.00 लाख रु. स्कीम के अंतर्गत कोई कार्यकलाप शुरू न किए जाने के कारण थे क्योंकि नेटवर्किंग के लिए अपेक्षित सहायता के बारे में विभिन्न संस्थाओं से अभी भी परामर्श किया जा रहा था।

(iii) ''कांचीपुरम स्थित भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी, डिजाइन और विनिर्माण संस्थान'' - 1000.00 लाख रु. वर्ष के दौरान स्कीम को लागू न किए जाने के कारण थे।

(ङ) मुख्य शीर्ष ''3601'' - ''केंद्रीय रूप से प्रायोजित योजना स्कीमों के लिए अनुदान - माध्यमिक शिक्षा - अनुसंधान और प्रशिक्षण - प्रवेश और साम्या'' - 850.00 लाख रु. स्कीम को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण थे।

(चा) मुख्य शीर्ष ''3602'' - ''केंद्रीय रूप से प्रायोजित योजना स्कीमों के लिए अनुदान - उपस्कर - माध्यमिक शिक्षा - विद्यालयों में सूचना और संचार प्रौद्योगिकियां'' - 150.00 लाख रु. मंत्रिमंडल द्वारा स्कीम को देर से अनुमोदन प्रदान किए जाने की वजह से प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण थे।

(II) निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत प्राप्त किया गया पूरक अनुदान पूर्णतया/प्रत्येक के सामने दर्शाई गई सीमा तक अप्रयुक्त रहा:-

(का) मुख्य शीर्ष ''2251'' - ''सचिवालय - माध्यमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा विभाग'' - 2754.00 लाख रु. के मूल प्रावधान को 167.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 2921.00 लाख रु. कर दिया गया। तथापि, 194.62 लाख रु. की बचत (पूरक अनुदान सहित) रिक्त पदों के न भरे जाने, किफायत के उपाय किए जाने, विदेश दौरे कम किए जाने और चिकित्सा प्रतिपूर्ति के कम दावे प्राप्त होने के कारण हुई।

(खा) मुख्य शीर्ष ''2203'' - ''पालिटेक्निक्स - गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम के लिए अनुदान - सामुदायिक पालिटेक्निक्स'' - 3123.00 लाख रु. के मूल प्रावधान को 600.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 3723.00 लाख रु. कर दिया गया। तथापि, 1645.10 लाख रु. की बचत (पूरक अनुदान सहित) व्यय वित्त समिति द्वारा स्कीम के पुनर्गठन को अंतिम रूप

(ii) "Support for Networking of Institutions of Optimization of Resources"- Rs.300.00 lakhs – due to non- undertaking up of any activity under the scheme as the consultation on support required for networking was still going on with different institutions.

(iii) "Indian Institute of Information Technology, Design and Manufacturing at Kanchipuram" - Rs.1000.00 lakhs – due to non-implementation of the scheme during the year.

(E) Major Head "3601" - "Grants for Centrally Sponsored Plan Schemes- Secondary Education– Research and Training -Access and Equity"- Rs.850.00 lakhs – due to non-finalisation of the scheme.

(F) Major Head "3602" - "Grants for Centrally Sponsored Plan Schemes-Equipment- Secondary Education - Information and Communication Technologies in Schools"- Rs.150.00 lakhs – due to non - receipt of proposals owing to late approval of the scheme by the Cabinet.

(II) Supplementary grant obtained under the following major heads remained wholly/to the extent unutilised as shown against each:-

(A) Major Head "2251" - "Secretariat-Department of Secondary Education and Higher Education"- the original provision of Rs.2754.00 lakhs was augmented to Rs.2921.00 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.167.00 lakhs. However, there was a saving of Rs.194.62 lakhs (including supplementary grant) due to non-filling up of vacant posts, economic measures, less foreign tours and receipt of less claims towards medical re-imbursement.

(B) Major Head "2203"-"Polytechnics – Grants for Quality Improvement Programme- Community Polytechnics"- the original provision of Rs.3123.00 lakhs was augmented to Rs.3723.00 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.600.00 lakhs. However, there was a saving of Rs.1645.10 lakhs (including supplementary grant) due to non-finalisation of re-structuring of the scheme by

न दिए जाने और सामुदायिक पालिटेक्निकों के पास अव्ययित शेषों के उपलब्ध रहने के कारण हुई।

(III) मुख्य शीर्ष ''3601'' - ''केंद्रीय रूप से प्रायोजित योजना स्कीमों के लिए अनुदान - भाषा विकास - आधुनिक भारतीय भाषा और साहित्य का संवर्धन - भाषा अध्यापकों की नियुक्ति'' - 1298.00 लाख रु. के मूल प्रावधान को 300.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 1598.00 लाख रु. कर दिया गया, तथापि, जो पूर्वोत्तर क्षेत्र से संबंधित प्रस्तावों के कम संख्या में प्राप्त होने के कारण 111.32 लाख रु. की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

(IV) मुख्य शीर्ष ''2202'' के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं :-

(का) ''माध्यमिक शिक्षा'' -

(क) ''अनुसंधान और प्रशिक्षण - राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद को अनुदान'' - 124.46 लाख रु. की बचत (5500.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) शिलांग स्थित क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान को कम निधियां जारी किए जाने के कारण हुई।

(ख) ''गैर-सरकारी माध्यमिक विद्यालयों को सहायता - राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय/राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय संस्थान'' - 160.00 लाख रु. की बचत (700.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) नोएडा में राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय के भवन के निर्माण की धीमी प्रगति होने के कारण हुई।

(ग) ''अन्य व्यय'' -

(i) ''शिक्षा का व्यवसायीकरण - स्वैच्छिक संगठनों को अनुदान'' - 145.47 लाख रु. की बचत (150.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) स्कीम के संशोधन की वजह से नए पाठ्यक्रम शुरू किए जाने संबंधी प्रस्तावों के प्राप्त न होने के कारण हुई।

(ii) ''प्रवेश और साम्या - स्वैच्छिक संगठनों को अनुदान'' - 1627.64 लाख रु. की बचत (2000.00 लाख रु. के

Expenditure Finance Committee and availability of unspent balance with the Community Polytechnics.

(III) Major Head "3601"-"Grants for Centrally Sponsored Plan Schemes – Language Development – Promotion of Modern Indian Language and Literature - Appointment of Language Teachers"- the original provision of Rs.1298.00 lakhs was augmented to Rs.1598.00 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.300.00 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of Rs.111.32 lakhs – due to receipt of less number of proposals for North Eastern Region.

(IV) Under Major Head "2202"- savings occurred under the following heads:-

(A) "Secondary Education"-

(a) "Research and Training- Grants to National Council of Educational Research and Training"- saving of Rs.124.46 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.5500.00 lakhs) was due to less release of funds to Regional Institute of Education at Shillong.

(b) "Assistance to Non-Government Secondary Schools - National Open School/National Institute of open schooling" - saving of Rs.160.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.700.00 lakhs) was due to slow progress of construction work of building of National Open School at NOIDA.

(c) "Other Expenditure"-

(i) "Vocationalisation of Education - Grants to Voluntary Organisations"- saving of Rs.145.47 lakhs (against the sanctioned provision of Rs. 150.00 lakhs) was due to non – receipt of proposals for introduction of new courses owing to the revision of the scheme.

(ii) "Access & Equity - Grants to Voluntary Organisations" - saving of Rs.1627.64

स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) स्कीम का संशोधन न होने के कारण हुई।

(iii) ''विद्यालयों में गुणवत्ता सुधार - स्वैच्छिक संगठनों को अनुदान'' - 246.59 लाख रु. की बचत (500.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कम व्यवहार्य प्रस्ताव प्राप्त होने के कारण हुई।

(खा) ''विश्वविद्यालय और उच्च शिक्षा'' -

(क) ''विश्वविद्यालयों को सहायता - राष्ट्रीय विश्वविद्यालय (इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय) की स्थापना''- 134.52 लाख रु. की बचत (6800.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) इग्नू द्वारा आवश्यकता की पूर्ति अपने आंतरिक संसाधनों से किए जाने के कारण हुई।

(ख) ''उच्चतर शिक्षा के संस्थान - भारतीय उच्च शिक्षा संस्थान, शिमला'' - 117.07 लाख रु. की बचत (675.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) प्रकाशन, बैठकों, सम्मेलनों एवं गोष्ठियों जैसे कार्यकलापों पर व्यय की धीमी गति होने और संस्थान के पास अव्ययित शेष के उपलब्ध रहने के कारण हुई।

(ग) ''अन्य व्यय - राष्ट्रीय पुस्तक न्यास/पुस्तक संवर्धन संस्थान को अनुदान'' - 120.00 लाख रु. की बचत (1000.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) व्यय की धीमी गति होने और साथ ही पूर्वोत्तर क्षेत्र से प्रस्तावों के प्राप्त न होने के कारण हुई।

(गा) ''भाषा विकास - संस्कृत शिक्षा'' -

(क) ''राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान'' - 420.00 लाख रु. की बचत (3550.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) व्यय की धीमी गति होने और पूर्व में जारी की गई राशियों के अव्ययित शेष का समायोजन किए जाने के कारण हुई।

(ख) ''राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान को अनुदान'' - 115.00 लाख रु. की बचत (250.00 लाख रु. के स्वीकृत

lakhs (against the sanctioned provision of Rs.2000.00 lakhs) was due to non-revision of the scheme.

(iii) "Quality Improvement in Schools – Grants to Voluntary Organisations"- saving of Rs.246.59 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.500.00 lakhs) was due to less receipt of feasible proposals.

(B) "University and Higher Education" -

(a) "Assistance to Universities - Establishment of National University (Indira Gandhi National Open University)" – saving of Rs.134.52 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.6800.00 lakhs) was due to meeting the requirement by IGNOU through their internal resources.

(b) "Institutes of Higher Learning- Indian Institute of Advanced Studies, Shimla"- saving of Rs.117.07 lakhs (against the sanctioned provision of Rs. 675.00 lakhs) was due to slow pace of expenditure on the activities like publication, meetings, conferences and seminars and availability of unspent balance with the Institute.

(c) "Other Expenditure-Grants to National Book Trust/Institution for Book Promotion"- saving of Rs.120.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1000.00 lakhs) was due to slow pace of expenditure and also on account of non-receipt of proposals from North Eastern Region.

(C) "Language Development- Sanskrit Education"-

(a) "Rashtriya Sanskrit Sansthan"- saving of Rs.420.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.3550.00 lakhs) was due to slow pace of expenditure and adjustment of unspent balance of previous releases.

(b) "Grants to Rashtriya Ved Vidya Pratishthan"- saving of Rs.115.00 lakhs

प्रावधान की तुलना में) प्रतिष्ठान के पास अव्ययित शेष के उपलब्ध रहने के कारण हुई।

(घा) ''सामान्य - अनुसंधान'' -

(क) ''भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद'' - 205.00 लाख रु. की बचत (4150.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पूर्वोत्तर क्षेत्र से प्रस्तावों के प्राप्त न होने और पिछले वर्ष के अव्ययित शेष के उपलब्ध रहने के कारण हुई।

(ख) ''भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद'' - 124.24 लाख रु. की बचत (780.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पुस्तकालय में पुस्तकों की खरीद न किए जाने और प्रशासनिक कारणों से पुस्तकालय का कम्प्यूटरीकरण न किए जाने के कारण हुई।

(ग) ''भारतीय दार्शनिक अनुसंधान परिषद'' - 149.00 लाख रु. की बचत (480.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) परिषद द्वारा अनुसंधान परियोजनाओं को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण हुई।

(घ) ''बौद्धिक सम्पदा शिक्षा, अनुसंधान और लोक पहुंच संबंधी स्कीम'' - 171.11 लाख रु. की बचत (250.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) बौद्धिक सम्पदा अनुसंधान न्यासी और वर्तमान आईपीआर पदों के निधीयन की समीक्षा किए जाने, उपयोग प्रमाण-पत्रों और आदाताओं से पूरे प्रस्तावों की प्राप्ति में विलंब होने और दस नए आईपीआर पदों को बड़ी मात्रा में अनुदान देने संबंधी प्रस्तावों को देर से मूर्त रूप प्रदान किए जाने के कारण हुई।

(V) मुख्य शीर्ष ''2203'' के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं :-

(का) ''निदेशन और प्रशासन - अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद'' - 2600.00 लाख रु. की बचत (9000.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पिछले वर्ष के अव्ययित शेष के उपलब्ध रहने और आंतरिक संसाधनों के माध्यम से आवश्यकता को पूरा किए जाने के कारण हुई।

(against the sanctioned provision of Rs. 250.00 lakhs) was due to availability of unspent balance with the pratishthan.

(D) “General-Research” –

(a) “Indian Council of Social Science Research”- saving of Rs. 205.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.4150.00 lakhs) was due to non-receipt of proposals from North Eastern Region and availability of unspent balance of previous year.

(b) “Indian Council of Historical Research” - saving of Rs.124.24 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.780.00 lakhs) was due to non-purchase of library books and non-computerisation of Library owing to administrative reasons.

(c) “Indian Council of Philosophical Research” - saving of Rs.149.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.480.00 lakhs) was due to non-finalisation of research projects by the council.

(d) “Scheme for Intellectual Property Education, Research and Public Outreach”- saving of Rs.171.11 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.250.00 lakhs) was due to review of funding of Intellectual Property Research Depository and Existing IPR chairs, delay in receipt of utilisation certificates and complete proposals from the grantees and late materialisation of proposals to give bulk grant to ten new IPR chairs.

(V) Under Major Head “2203” – savings occurred under the following heads:-

(A) “Direction and Administration- All India Council for Technical Education (A.I.C.T.E)”- saving of Rs.2600.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs. 9000.00 lakhs) was due to availability of unspent balance of previous years and meeting out the requirement through internal resources.

(खा) ''प्रशिक्षण'' -

(क) ''तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान/राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान'' - 190.00 लाख रु. की बचत (2800.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में)संस्थानों के पास अव्ययित शेष के उपलब्ध रहने के कारण हुई।

(ख) ''शिक्षुता प्रशिक्षण कार्यक्रम - छात्रवृत्ति और वृत्तिका'' - 150.00 लाख रु. की बचत (2500.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पूर्वोत्तर क्षेत्र से प्रस्तावों के प्राप्त न होने के कारण हुई।

(गा) ''तकनीकी शिक्षा के लिए विश्वविद्यालयों को सहायता - भारतीय विज्ञान संस्थान, बंगलौर को अनुदान'' - 300.00 लाख रु. की बचत (11200.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कार्यक्रम के कार्यान्वयन को अंतिम रूप न दिए जाने की वजह से संस्थान द्वारा पूर्वोत्तर राज्यों में निधियों का उपयोग न किए जाने के कारण हुई।

(घा) ''पालिटेक्निक - विकलांग व्यक्तियों के लिए पालिटेक्निक'' - 212.50 लाख रु. की बचत (400.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) संस्थानों के पास पूर्व में जारी की गई राशियों के अव्ययित शेष के उपलब्ध रहने के कारण हुई।

(ङ) ''इंजीनियरी, तकनीकी कालेज और संस्थान'' -

(क) ''भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान'' - 1040.00 लाख रु. की बचत (64902.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पिछले वर्ष के अव्ययित शेष के उपलब्ध रहने के कारण हुई।

(ख) ''भारतीय प्रबंध संस्थान'' - 698.28 लाख रु. की बचत (0.50 लाख रु. के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित 4500.50 लाख रु.के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) योजनेतर अनुदानों में भारतीय प्रबंध संस्थानों की आंतरिक आय और पिछले वर्ष के अव्ययित शेष के उपलब्ध रहने के कारण हुई।

(B) "Training"-

(a) "Technical Teachers Training Institute/ National Institute of Technical Teachers Training and Research" - saving of Rs.190.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.2800.00 lakhs) was due to availability of unspent balance lying with the Institutes.

(b) "Programme for Apprenticeship Training-Scholarships and Stipends"- saving of Rs.150.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.2500.00 lakhs) was due to non-receipt of proposals from the North Eastern Region.

(C) "Assistance to Universities for Technical Education- Grants to Indian Institute of Science, Bangalore" - saving of Rs.300.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.11200.00 lakhs) was due to non-utilisation of funds in the North Eastern States by the Institution owing to non-finalisation of implementation of the programme.

(D) "Polytechnics-Polytechnics for Disabled Persons"- saving of Rs.212.50 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.400.00 lakhs) was due to availability of unspent balance of previous releases with the institutes.

(E) "Engineering, Technical Colleges and Institutes"-

(a) "Indian Institute of Technology"- saving of Rs.1040.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.64902.00 lakhs) was due to availability of unspent balance of previous year.

(b) "Indian Institute of Managements"-saving of Rs.698.28 lakhs (against the total sanctioned provision of Rs.4500.50 lakhs including token supplementary grant of Rs.0.50 lakh) was due to internal incomes of IIMs in non-plan grants and availability of unspent balance of previous year.

(ग) ''केंद्रीय संस्थाओं और क्षेत्रीय इंजीनियरी कालेजों को प्रत्यक्ष केंद्रीय सहायता'' - 184.50 लाख रु. की बचत (3500.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) विषय विशेषज्ञ समिति/राष्ट्रीय विशेषज्ञ समिति द्वारा परियोजनाओं को कम संख्या में अनुमोदन प्रदान किए जाने के कारण हुई।

(घ) ''राष्ट्रीय औद्योगिक इंजीनियरी संस्थान, मुंबई'' - 433.34 लाख रु. की बचत (1100.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) वार्षिक प्रस्ताव को अनुमोदन प्रदान न किए जाने और पिछले वर्ष का अव्ययित शेष उपलब्ध रहने के कारण हुई।

(ङ) ''आयोजना एवं वास्तुशिल्प विद्यालय'' - 145.00 लाख रु. की बचत (1000.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) विद्यालय के पास अव्ययित शेष के उपलब्ध रहने के कारण हुई।

(च) ''संत लोंगोवाल इंजीनियरी एवं प्रौद्योगिकी संस्थान'' - 400.00 लाख रु. की बचत (1500.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) अव्ययित शेष का समायोजन किए जाने और रिक्त पदों को न भरे जाने के कारण हुई।

(छ) ''भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी एवं प्रबंध संस्थान, ग्वालियर''- 352.50 लाख रु. की बचत (950.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पिछले वर्ष के अव्ययित शेष का समायोजन किए जाने के कारण हुई।

(ज) ''नए और उदीयमान प्रौद्योगिकी क्षेत्रों को सहायता'' - 264.00 लाख रु. की बचत (376.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) निधियों की कम आवश्यकता होने के कारण हुई।

(झ) ''जबलपुर स्थित भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान'' - 600.00 लाख रु. की बचत (1000.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) स्कीम को देर से लागू किए जाने के कारण हुई।

(चा) ''अन्य व्यय - तकनीकी शिक्षा - भारत सरकार की गुणवत्ता सुधार परियोजना'' - 1750.00 लाख रु. की बचत

(c) "Direct Central assistance to Central Institutions and Regional Engineering Colleges"- saving of Rs.184.50 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.3500.00 lakhs) was due to less number of projects approved by the Subject Expert Committee/National Expert Committee.

(d) "National Institute of Industrial Engineering, Mumbai"- saving of Rs.433.34 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1100.00 lakhs) was due to non-approval of the annual proposal and availability of unspent balance of previous year.

(e) "School of Planning and Architecture" - saving of Rs.145.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1000.00 lakhs) was due to availability of unspent balance with the school.

(f) "Sant Longowal Institute of Engineering and Technology"- saving of Rs.400.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1500.00 lakhs) was due to adjustment of unspent balance and non-filling up of vacant posts.

(g) "Indian Institute of Information Technology & Management, Gwalior"-saving of Rs.352.50 lakhs (against the sanctioned provision of Rs. 950.00 lakhs) was due to adjustment of unspent balance of previous year.

(h) "Support to New and Emerging Technology Areas"- saving of Rs.264.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.376.00 lakhs) was due to less requirement of funds.

(i) "Indian Institute of Information Technology at Jabalpur"- saving of Rs.600.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1000.00 lakhs) was due to late implementation of the scheme.

(F) "Other Expenditure-Technical Education-Quality Improvement Project of Government of

(10000.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) जालंधर, जयपुर और वारंगल स्थित राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान के पास अव्ययित शेष के उपलब्ध रहने के कारण हुई।

(VI) मुख्य शीर्ष ''2552'' - ''पूर्वोत्तर क्षेत्रों का विकास - पूर्वोत्तर क्षेत्र विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी संस्थान, इटानगर'' के अंतर्गत 150.00 लाख रु. की बचत (1500.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पिछले वर्ष के अव्ययित शेष के उपलब्ध रहने के कारण हुई।

(VII) मुख्य शीर्ष ''3601'' के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं :-

(का) ''केंद्रीय योजना स्कीमों के लिए अनुदान'' -

(क) ''सामान्य शिक्षा - छात्रवृत्ति'' -

(i) ''माध्यमिक चरण पर ग्रामीण क्षेत्रों के प्रतिभावान बच्चों के लिए छात्रवृत्ति'' - 248.18 लाख रु. की बचत (290.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(ii) ''राष्ट्रीय छात्रवृत्ति स्कीम'' - 353.31 लाख रु. की बचत (375.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत बचतें कुछ राज्य सरकारों से प्रस्तावों के प्राप्त न होने के कारण हुआ।

(ख) ''भाषा विकास - संस्कृत शिक्षा - संस्कृत शिक्षा का विकास'' - 1021.24 लाख रु. की बचत (1600.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) व्यय की धीमी गति होने और अव्ययित शेष का समायोजन किए जाने के कारण हुई।

(ग) ''सामान्य शिक्षा - अन्य अनुदान - क्षेत्र गहन एवं मदरसा आधुनिकीकरण कार्यक्रम'' - 695.00 लाख रु. की बचत (2900.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) प्रस्तावों के प्राप्त न होने और राज्य सरकारों से उपयोग प्रमाण-पत्रों के प्राप्त न होने के कारण हुई।

India"- saving of Rs.1750.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.10000.00 lakhs) was due to availability of unspent balance with the National Institute of Technology at Jalandhar, Jaipur and Warangal.

(VI) Under Major Head "2552"- "Development of North Eastern Areas- North Eastern Regional Institute of Science and Technology, Itanagar" - saving of Rs.150.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1500.00 lakhs) was due to availability of unspent balance of previous year.

(VII) Under Major Head "3601"-savings occurred under the following heads:-

(A) "Grants for Central Plan Schemes"-

(a) "General Education- Scholarships"-

(i) "Scholarships for Talented Children from Rural Areas at Secondary stage" - saving of Rs.248.18 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.290.00 lakhs); and

(ii) "National Scholarship Scheme" - saving of Rs.353.31 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.375.00 lakhs).

Savings under the above two heads were due to non-receipt of proposals from some State Governments.

(b) "Language Development – Sanskrit Education - Development of Sanskrit Education"- saving of Rs.1021.24 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1600.00 lakhs) was due to slow pace of expenditure and adjustment of unspent balance.

(c) "General Education –Other Grants- Area Intensive and Madarsa Modernisation programme" - saving of Rs.695.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.2900.00 lakhs) was due to non-receipt of proposals and utilisation certificates from State Governments.

(खा) ''केंद्रीय रूप से प्रायोजित योजना स्कीमों के लिए अनुदान''-

(क) ''माध्यमिक शिक्षा - अनुसंधान और प्रशिक्षण'' -

(i) ''विद्यालयों में सूचना और संचार प्रौद्योगिकियां'' - 7382.88 लाख रु. की बचत (8300.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) स्कीम को मंत्रिमंडल द्वारा देर से अनुमोदन प्रदान किए जाने की वजह से प्रस्तावों के कम संख्या में प्राप्त होने के कारण हुई।

(ii) ''विद्यालयों में गुणवत्ता सुधार'' - 1135.63 लाख रु. की बचत (1200.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन लंबित होने की वजह से स्कीम का संशोधन न किए जाने के कारण हुई।

(ख) ''माध्यमिक शिक्षा - उपस्कर - विकलांग बच्चों के लिए एकीकृत शिक्षा'' - 122.64 लाख रु. की बचत (2660.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) राज्यों सरकारों से व्यवहार्य और उपयुक्त प्रस्तावों के प्राप्त न होने और साथ ही वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित अनुमान चरण पर कटौती लागू किए जाने के कारण हुई।

(ग) ''माध्यमिक शिक्षा - अन्य अनुदान - शिक्षा का व्यवसायीकरण'' - 1890.85 लाख रु. की बचत (4700.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) वर्तमान स्कीम के संशोधन की वजह से नए पाठ्यक्रमों के विद्यालयों/संस्थाओं का चयन न किए जाने के कारण हुई।

(VIII) छह शीर्षों के अंतर्गत 469.04 लाख रु. की बचतें हुईं जो प्रत्येक में 50.00 लाख रु. से अधिक परंतु 100.00 लाख रु. से कम और स्वीकृत प्रावधान का 13 प्रतिशत से 60 प्रतिशत तक थीं।

2.(I) उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (4282.00 लाख रु.) प्रयुक्त हो गईं जैसा कि निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत 41719.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था:-

(B) "Grants for Centrally Sponsored Plan Schemes"-

(a) "Secondary Education-Research and Training"-

(i) "Information and Communication Technologies in Schools"- saving of Rs.7382.88 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.8300.00 lakhs) was due to receipt of less number of proposals owing to late approval of the scheme by the Cabinet.

(ii) "Quality Improvement in Schools"-saving of Rs.1135.63 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1200.00 lakhs) was due to non-revision of the scheme pending approval of the competent authority.

(b) "Secondary Education – Equipment-Integrated Education for Disabled Children"- saving of Rs.122.64 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.2660.00 lakhs) was due to non-receipt of viable and in order proposals from the state Governments and also on account of cut imposed by the Ministry of Finance at revised estimates stage.

(c) "Secondary Education – Other Grants - Vocationalisation of Education" - saving of Rs.1890.85 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.4700.00 lakhs) was due to non-selection of schools/institutions of new courses owing to revision of the existing scheme.

(VIII) Under six heads savings of Rs.469.04 lakhs occurred, each exceeding Rs.50.00 lakhs but not exceeding Rs.100.00 lakhs and constituting 13 percent to 60 percent of the sanctioned provision.

2.(I) The above savings were partly (Rs.4282.00 lakhs) utilised for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining supplementary grants of Rs.41719.00 lakhs under the following major heads:-

(का) मुख्य शीर्ष ''2202'' - ''सामान्य - अन्य व्यय - अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थाओं के लिए राष्ट्रीय आयोग'' - 64.00 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 63.50 लाख रु. था।

(A) Major Head "2202" - "General – Other Expenditure - National Commission for Minority Educational Institutions" - Rs.64.00 lakhs. Actual excess, however, was Rs.63.50 lakhs.

(खा) मुख्य शीर्ष ''2203'' - ''इंजीनियरी, तकनीकी कालेज और संस्थान'' -

(B) Major Head "2203"- "Engineering, Technical Colleges and Institutes" -

(क) ''क्षेत्रीय इंजीनियरी कालेज/राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान''- 3718.00 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 3717.00 लाख रु. था।

(ख) ''जम्मू स्थित इंजीनियरी कालेज'' - 500.00 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 499.00 लाख रु. था।

(a) "Regional Engineering Colleges/National Institute of Technology" - Rs.3718.00 lakhs. Actual excess, however, was Rs.3717.00 lakhs.

(b) "Engineering College at Jammu" – Rs.500.00 lakhs. Actual excess, however, was Rs.499.00 lakhs.

(II) बचतें मुख्य शीर्ष ''2202'' के अंतर्गत निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा भी प्रतिसंतुलित हो गईं :-

(II) Savings were also offset by excess under Major Head "2202"- under the following heads:-

(का) ''माध्यमिक शिक्षा - गैर-सरकारी माध्यमिक विद्यालयों को सहायता - आदर्श विद्यालयों (नवोदय विद्यालयों) की स्थापना''- 2100.00 लाख रु. का अधिक व्यय (4466.00 लाख रु. के पूरक अनुदान सहित 56766.00 लाख रु. के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) 50 प्रतिशत महंगाई भत्ते का मूल वेतन में विलयन किए जाने की वजह से कर्मचारियों के वेतन और भत्तों की अदायगी के लिए अधिक निधियों की आवश्यकता होने और नवोदय विद्यालयों के कार्यकलापों का विस्तार किए जाने के कारण हुआ।

(A) "Secondary Education – Assistance to Non-Govt. Secondary Schools - Setting up of Model Schools (Navodaya Vidyalayas)"- excess of Rs.2100.00 lakhs (against the total sanctioned provision of Rs.56766.00 lakhs including supplementary grant of Rs.4466.00 lakhs) was due to requirement of more funds for payment of staff salary and allowances due to merger of 50 percent dearness allowance in the basic pay and extension of activities of Navodaya Vidyalayas.

(खा) ''विश्वविद्यालय और उच्च शिक्षा - विश्वविद्यालयों को सहायता - विश्वविद्यालय अनुदान आयोग'' - 3300.00 लाख रु. अधिक व्यय (21405.00 लाख रु. के पूरक अनुदान सहित 186960.00 लाख रु. के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) सम्पत्ति कर में वृद्धि होने, महंगाई भत्ते का विलयन किए जाने, केंद्रीय विश्वविद्यालयों, मान लिए गए विश्वविद्यालयों और दिल्ली कालेजों के पुराने भवनों की मरम्मत किए जाने के कारण हुआ।

(B) "University and Higher Education-Assistance to Universities – University Grants Commission" - excess of Rs.3300.00 lakhs (against the total sanctioned provision Rs.186960.00 lakhs including supplementary grant of Rs.21405.00 lakhs) was due to increase in property tax, merger of dearness allowance, repair of old buildings of Central Universities, Deemed Universities and Delhi Colleges.

3. अनुदान के पूंजीगत भाग में, 1.00 लाख रु. का प्रावधान मुख्य शीर्ष ''4202'' - ''शिक्षा, खेलकूद और संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय'' के अंतर्गत एक मामले में पूर्णतया अप्रयुक्त रहा और इसे अंतत: अभ्यर्पित कर दिया गया।

3. In the capital section of the grant, provision of Rs.1.00 lakh remained wholly unutilised in one case under Major Head "4202" - "Capital Outlay on Education, Sports and Culture" and was eventually surrendered.